संख्या-347 III(2)/05-11(बजट)/2004

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्तसचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून,दिनांक 7 फरवरी ,2005

विषयः- वित्तीय वर्ष 2004-2005 में निर्माणाधीन मार्ग/सेतु के कार्यो हेतु प्रथम अनुपूरक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त अनुभाग-1 के पत्र सं0-107(1)/XXVII(1)/2005 दिनांक 31 जनवरी,2005 के अनुपालन मे एवं शासनादेश संख्या- 483/III (2)/04-11 (बजट) /2004 दिनांक 18 मई,2004,संख्या-1578/III(2)/04-11(बजट) दिनांक 06 सितम्बर,2004 एवं सं0-2604/III-2/04-11 (बजट) दिनांक 29 नवम्बर,2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में निर्माणाधीन मार्ग/सेतु के कार्यो हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 20.00 करोड (रू0 बीस करोड मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का सी.सी. एल. के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा यह सुनिशिचत कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का कार्यवार/खण्डवार आबंटन ऐसी चालू योजनाओ पर शासन की सहमति के प्रथमतः किया जायेगा,जिसमे 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है,जिन खण्डो मे 75 प्रतिशत या उससे अधिक के कार्य अवशेष नही है,उन खण्डो मे 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किये जायेगे, कार्यवार/खण्डवार आवंटन कर संकलित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह मे उपलब्ध कराया जायेगा ।अग्रेत्तर त्रैमास की सी.सी.एल. जारी करने से पूर्व यह अवश्य सुनिशिचत कर लिया जाय कि पूर्व मे सी.सी.एल.द्वारा निर्मित धनराशि का संबंधित खण्ड/ प्रखण्ड द्वारा पूर्ण उपयोग कर ली गई हो ।

3- व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की तकनिकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय । कार्य करते समय टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमो का अनुपालन किया जायेगा ।

4- कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु संबधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे ।

5- स्वीकृति के एक माह के अन्दर अब तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो का विवरण एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा । वर्ष 2004-05 मे स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो का विवरण व भौतिक प्रगति 31 मार्च,2005 के प्रथम सप्ताह मे उपलब्ध करा दी जायेगी और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में शेष सभी शर्ते ऊपर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 6.9.2004 व 29.11.2004 के अनुसार ही रहेगी ।

क्रमशः..2/..

Gic-1209

7- उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आवंटन कर वित्तीय व भौतिक लक्ष्यो का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

8- इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक 5054 सडको एवं सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सडके-आयोजनागत-800 -अन्य व्यय -03-राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

9- **यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0-70/ XX V11/ (3)/2005 दिनांक 3 फरवरी 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।**

भवदीय

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-247 (1)/ III(2)/04,तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2- आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/ नैनीताल ।
3- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकरी ,उत्तरांचल ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
5- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल,देहरादून ।
6- मुख्य अभियन्ता ,गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोडा ।
7- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-1,उत्तरांचल शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

rakesh- Go mw-297